अनुसूचित जाति की महिलाओं में महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय अध्ययन : मेरठ जिले में माछरा विकास खण्ड के विशेष सन्दर्भ में

डॉ0 संगीता गुप्ता[1]
विभागाध्यक्षा
समाजशास्त्र विभाग
मेरठ कालिज, मेरठ।
सुशील लवानिया[2]
शोध छात्र
समाजशास्त्र विभाग
मेरठ कालिज, मेरठ।

किसी भी समाज के विकास को समझने के लिए उसमें नारी की स्थिति का अवलोकन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी समाज की आधी आबादी होने के बावजूद भी समाज ने जितनी तरक्की करनी चाहिए उतनी तरक्की नहीं की है। महिलायें सिर्फ चारदीवारी में कोई कार्य नहीं कर सकती। प्राचीन विचारक भी सदैव नारी को समाज में उचित स्थान दिलाने का प्रयास करते रहें, परन्तु आज परिस्थितियॉ बिल्कुल विपरीत हैं क्योंकि महिला बराबरी के लिए नहीं अपितु गर्व से निकलने का प्रयास कर रही हैं। आधुनिक समय में महिलाओं की स्थिति ज्यादा नरकीय हो चुकी है कि वह अपने को पुरुषों के स्तर पर लाने की कोशिश कर रही हैं।[1]

हमारे समाज में नारी को जहॉ पूजा और दया की वस्तु माना जाता है लेकिन दूसरी ओर उसे विलासता की वस्तु समझा जाता है। मानवता तब शर्मसार हो जाती है जब हम स्त्री को इंसान भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। नारी का स्वतन्त्र अस्तित्व तो मानो है ही नहीं।[2]

अतीत काल में महिलायें शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता देती थी और अधिक शिक्षा ग्रहण करती थी। वैदिक काल में भारतीय नारी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी। ब्राह्मण कन्याओं को वैदिक ऋचाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी। और तो और क्षत्रिय कन्याओं को युद्ध आदि तकनीकी से परिपूर्ण अर्थात तीर–कमान की शिक्षा दी जाती थी।

अथर्ववेद में यह बात स्पष्ट की गई है कि केवल उस लड़की का विवाह सफल होता था जिस कन्या को छात्रावस्था में उचित प्रशिक्षण दिया गया हो।

वैदिक काल में मैत्री, गार्गी, लोपा, मुद्रा आदि विख्यात नारियों का नाम सर्वोपरि है। ये नारी सशक्तिकरण का एक उचित उदाहरण है। जो कि विभिन्न शास्त्रों का गहन ज्ञान अर्जित किया करती थीं। शास्त्रार्थ में तो वे पुरुषों को भी पीछे छोड़ देती थी। उदाहरणस्वरूप में जनक के दरबार में गार्गी ने याज्ञवल्यक्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी तथा उसे अपने प्रश्नों से चकित कर दिया था। महिला सशक्तिकरण का एक ओर उदाहरण मदन मिश्र और शंकराचार्य में हुए शास्त्रार्थ में मदन मिश्र की पत्नी भारती ने निर्णायक की भूमिका का निर्वहन किया। महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था तो उस दांव को कानूनी आधार पर चुनौती दी थी एवं उस सभा में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। वह इतिहास की सबसे बड़ी घटना के तौर पर आज भी याद किया जाता है। और तो और सावित्री अपने पति को यमराज से छुड़ा लाई थी।[3]

डॉ0 संगीता गुप्ता[1] विभागाध्यक्षा, समाजशास्त्र विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ।
सुशील लवानिया[2] शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, मेरठ कालिज, मेरठ।

इस बात में सच्चाई है कि हमारे समाज में पुरुष और स्त्री के महत्व, स्थान और रुतबे में काफी अन्तर रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि सभी स्तरों पर औरत को पुरुषों से हीन अथवा दुर्बल समझा जाता रहा है और यह सोच महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार में भी झलकती है। लेकिन यह भी सत्य प्रतीत होता है कि पुरुष और स्त्री के बीच लम्बे समय से बनी खाई को पाटने का सार्थक प्रयास किया जाता रहा है।[4]

स्वतन्त्रा से पूर्व ही महिलायें घर से निकलकर बाहर आकर आन्दोलन करने लगी अर्थात् अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने लगी यहीं से सशक्तिकरण की शुरूआत हो गयी थी। परिणामस्वरूप महिलाओं ने शराब की बिक्री के विरुद्ध पुलिस का सामना, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करना, अपनी स्वेच्छा से गिरफ्तारियॉ तक दी।

बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दलित महिलाओं के सशक्तिकरण में भूमिका निभायी थी। दलित महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। अपनी शिक्षा को बढ़ाते हुए स्कूल में प्रवेश किया सामाजिक संस्थाओं में भाग लिया उनको उच्च स्तर पर लाने के लिए भरसक प्रयास किये।

महिलायें ग्रामीण विकास को अपने सशक्तिकरण से महिलाओं को शिक्षित कर रही हैं। गॉव के स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी है। ग्रामपंचायतों में भी आरक्षण की वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और जिसमें समाज का विकास सुनिश्चित है।[5]

महिला सशक्तिकरण में पंचायत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिनोदिन बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि पंचायतों में भागीदारी होने के साथ ही उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। उनमें जागरुकता आई है और वे छोटे–छोटे स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्वरोजगार अपना रही हैं और विकास में अपना सहयोग दे रही हैं। इस तरह कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत से ही महिलाओं के राजनीतिक एवं सशक्तिकरण अभियान को गति मिली। जब पंचायतों में उनकी भागीदारी बढ़ी तभी वे हर दिशा में आगे निकल पाई हैं। अब तो संसद तक में उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं ने भारत में राजनीति करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया है और नई ऊॅचाईयों पर ले गई। इन महिलाओं ने अपने को परखा और परखने के बाद इन्होंने अपनी शक्ति की पहचान करते हुए राजनीति में आई। ये प्रमुख महिलाये निम्नलिखित हैं–

सावित्री बाई फुले, रमाबाई अम्बेडकर, मायावती, किरण जाटव, मीरादेवी आदि महिलायें अनुसूचित जाति की महिलायें हैं जो आज भी अपने सशक्तिकरण के कारण पहचानी जाती हैं।[6]

इस कारण सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान की धारा 243 डी में संशोधन किया गया और पंचायतों में सभी श्रेणियों में महिलाओं की भागीदारी एक तिहाई से बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत करने के लिए भारतीय संविधान में एक अधिकारिक संशोधन (110वां संशोधन) विधेयक–2009 के प्रभाव को मंजूरी दी है। इस प्रावधान में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी गई कुल सीटें, अध्यक्षों के कार्यालयों और अध्यक्षों की सीटो एवं कार्यालय के लिए लागू होगा। 27 अगस्त 2009 को ग्रामीण स्तर की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण कोटा 33 से 50 प्रतिशत प्रस्ताव होने पर पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए भी लागू होगी।

भारत–दृष्टिकोण 2020 दस्तावेज ने सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनायें बनायी जा रही हैं। योजना आयोग के बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी महिलाओं के लिए विशेष योजना का प्रावधान किया गया है।[7]

सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को समाज में पुरुष के समान शक्तिशाली बनाना और महिला सशक्तिकरण से आशय उन सामान्य अर्थों से लगाया जाता है जो अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके और आत्मविश्वास में वृद्धि कर पुरुषों के समान बराबरी के आधार पर निर्णय करने की क्षमता में बढ़ोत्तरी कर सके। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अति आवश्यक है कि पुरुष समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरुक बने और पौरुष की परम्परागत परिभाषा को सवालिया निगाह से देखने में दिलचस्पी ले अर्थात्

महिला सशक्तिकरण तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक स्त्री अपना सम्मान के साथ लक्ष्य पर पहुॅच जाये। जिसमें महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के तहत नारी को सर्वगुण सम्पन्न, अधिकार से वंचित, दुनिया भर में पुरुषों से कम आंकलन और उनके अधिकार के तहत नारी को वंचित करना आदि है। इन कारणों के तहत, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, परिवार में लड़की को समान समझना, महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान एवं उनका स्तर बढ़ाना आदि।

एक तरफ नारी को जहॉ **'यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'** अथवा यदि ईश्वर प्रकाश पुंज है तो नारी उसकी किरण है जो प्रकाश को चारों तरफ बिखरे देती है। अथवा यदि ईश्वर शब्द है तो नारी उसका अर्थ है। जैसी उक्तियॉ प्रचलित हैं, वहीं दूसरी ओर नारी के पालन–पोषण को पड़ोसी के पौधे को सींचने के समान बताया गया है। उसे मात्र एक आर्थिक उत्तरदायित्व माना गया है। पुरुष से उसे हर दृष्टि से कम ही समझा गया है। मनु ने तो यहॉ तक कहा है कि हिन्दू महिला आजीवन पुरुष पर ही आश्रित हैं– बचपन में पिता पर, विवाह के उपरान्त पति पर, वृद्धावस्था में पुत्र पर। इनमें से एक भी अवस्था में पुरुष का आश्रय न रहने पर उसे कलंकित व उपेक्षित किया गया एवं अपमान व तिरस्कार की ज्वाला में उसके जीवन को भस्म कर दिया गया। यदि हम विभिन्न कालों की बात करें तो भारतीय महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि वैदिक काल में पुरुषों के समान स्त्रीयों की स्थिति काफी ऊँची थी और समय बदलता गया नारी की स्थिति में कमी आनी शुरू हो गयी। उत्तर वैदिक काल में नारी की दिशा गिरती चली गयी व मध्यकाल तक आते–आते नारी जाति के लिए अन्धकारमय रहा। इस काल में ही पर्दा–प्रथा, बाल विवाह, सती–प्रथा, विवाह–विच्छेद की समस्या, अन्तर्जातीय विवाहों की समस्या तथा कन्या व्यापार आदि समस्याओं का जन्म हो गया था।

अंग्रेजों के भारत आगमन तथा उनके द्वारा शिक्षा के प्रारम्भ का समाज के विचारों, मनोवृत्तियों व मूल्यों पर गहरा प्रभाव दिखने लगा। यही वह समय था जब नारी सशक्तिकरण ह्रास होने लगा था। परिवार सम्बन्धी मान्यताएं बदलने लगी। स्त्री–पुरुषों की समानता अलग हो चुकी थी। संवैधानिक सुधार व भारतीय नारी मताधिकार का राजनीतिक अधिकार का प्रभाव देखने को मिला परन्तु नारी अभी भी अत्यधिक पिछड़ने लगी थी।[8]

वर्ष 1975 को ''विश्व महिला वर्ष'' घोषित किया गया था। इसके पश्चात् अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये गये, परन्तु महिलाओं की दशा में विशेष सुधार नहीं हो पाया। महिलायें चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, हिंसा की शिकार होती रहती हैं। जिस कारण वे अपने अधिकारों का सही उपयोग नहीं कर पा रही हैं और इसी कारण देश की प्रगति में भी अपना सहयोग नहीं दे पा रही हैं।

हमारे देश की प्रथम आई0पी0एस0 महिला सुश्री ''किरण बेदी'' का कहना है कि ''महिलायें शिक्षित हों, ज्ञानवान बने, सिर्फ साक्षर होने से कुछ भी नहीं होगा।'' इसके साथ ही समाज को भी अपनी मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। महिलायें शिक्षित तब होगी जब उनको बराबरी का दर्जा प्राप्त होगा। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उचित माहौल एवं अवसर प्राप्त हों तब ही वे शिक्षा प्राप्त कर सकेगी एवं आगे बढ़ सकेगीं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को शिक्षा का माहौल प्राप्त नहीं है। जब वे शिक्षा प्राप्त करेगीं तभी तो आगे बढ़ेगीं। गॉवों के स्कूलों में आज भी बच्चे पूर्णरूप से शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं अर्थात् गॉवों से काफी दूर स्कूल में ग्रामीण अपनी लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते हैं।[9]

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 1992 में महिला आयोग की स्थापना की गई और इसके पूर्व 1984 में पारिवारिक अदालतों की स्थापना के लिए पारिवारिक अदालत अधिनियम बनाया गया। जिसका उद्देश्य विवाह व पारिवारिक मामलों में त्वरित समाधान कराने के लिए पक्षकारों में मेलजेल व समझौते की राह आसान बनाना था। ब्रिटिश काल में औरतों के मामले में पश्चमीकरण विशेष प्रभावी न हो सका। बाल–विवाह, सती प्रथा, कन्या वध, कन्याओं की तस्करी आदि अर्थात् स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो चली थी। ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा का प्रचार हुआ। कुछ स्त्रियों ने घर से बाहर कदम रखे किन्तु उन्हें समाज विरोधी नजरों को सहन करना पड़ता था।

राजा राम मोहनराय ने सती प्रथा, बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठायी, महात्मा गांधी ने भी स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेतृत्व में नारी की दुर्दशा पर सवाल उठाया था। भारत कृषि प्रधान देश है जहॉ

नारी गॉवों में पुरुषों के साथ खेती–बाड़ी करती हैं। जंगल, खेती पशुओं का पालन–पोषण करके अपने परिवार की आय में बढ़ोत्तरी कर रही हैं।[10]

नई शताब्दी के शुरू का वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत में आदि शक्ति की धारणा रही। अभी भी नवरात्र के अवसर पर 'देवी' की पूजा करते हुए यह श्लोक पढ़ा जाता है–

या देवि सर्वभूतेषू, शक्ति रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय विशेष रूप में हिन्दू धर्म में स्त्री को देवी शक्ति के रूप में देखा जाता है। स्त्री अबला कब हो गयी, इसकी खोज कोई जासूस ही कर सकता है। अतः स्त्री को जब घर के भीतर ही बंद कर दिया गया वह **'असूर्यपश्या'** मानी जाने लगी इसी के तहत उसे अबला के रूप में देखा जाने लगा। यद्यपि मनु ने कहा कि स्त्रियों की जहॉ पूजा होती है वहॉ देवता रहते हैं। इन सभी के बावजूद आधुनिक सभ्यता के प्रसार के पहले यह पूरा भारतीय समाज स्त्रियों के लिए एक विशाल कारागार की तरह है।

स्त्रियों के सशक्तिकरण के उन्नत होने व स्त्रियों की उपलब्धी प्राप्त होने पर देश गर्व करता है। सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता के प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है। अभी भी विधान सभा हो या लोकसभा हो 20 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है।'' जबकि स्त्रियों की आधी आबादी के बावजूद 50 प्रतिशत राजनैतिक या सरकारी नौकरियों, अर्धसरकारी विभागों में आरक्षण मिलना चाहिए। अभी भी पिछड़े और दलित वर्गों के अनुपात में पिछड़ी और दलित स्त्रियों के लिए अलग से कोटा निर्धारित करना चाहिए। इस स्थिति में सत्ता में भागीदारी के लिए सशक्तिकरण का तर्क बहुत प्रभावशाली नहीं रह जाता है। राजनीतिक भूमिका से यह मुक्ति शायद ही मिल सके। आरक्षण में अधिक महत्वपूर्ण यह है कि स्त्री अपने गढ़े हुए बनावटी व्यक्तित्व से अपने को मुक्त कर सके। इसमें स्त्री सशक्तिकरण अभियान को वास्तविक सार्थकता प्राप्त होगी।[11]

शैक्षिक सशक्तिकरण

भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् स्त्री शिक्षा के अनेक कार्यक्रम चलाये गये। जैसे– राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, महिला सामाख्या योजना, जीवन हेतु महिलाओं का एकीकृत अध्ययन, आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा योजना, नवोदय एवं केन्द्रीय विद्यालयों में लड़कियों के लिए बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा इत्यादि अन्य योजनाओं के तहत स्कूल में दोपहर का खाना, निःशुल्क वर्दी वितरण एवं पाठ्य प्रस्तकें वितरित, छात्रवृत्ति प्रदान करना, जिससे स्त्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

आर्थिक सशक्तिकरण

सम्पूर्ण सशक्तिकरण के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की अहम भूमिका होना। अपने अधिकारों के रूप में जागरुकता स्वयं को पुरुषों के समान समझना, अपना पारिश्रमिक पुरुषों के समान होना। अपने को स्वतन्त्र एवं स्वावलम्बी बनाना। जिससे देश की तरक्की में भागीदारी निभा सके। सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेंम), ग्रामीण कारीगरों के लिए उन्नत किस्म के औजारों की आपूर्ति (सिप्रा) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के विकास की योजना (ड्वाकरा) तथा मजदूरी रोजगार आधारित जवाहर रोजगार योजना व मनरेगा का रोजगार कार्यक्रम आदि है।

सामाजिक सशक्तिकरण

भारत में ग्रामीण महिलाऍ सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई हैं। सामाजिक स्तर पर महिलाऍ पत्नी, मॉ एवं गृहणी की भूमिका के रूप में पहचानी जाती हैं परन्तु पुरुष प्रधान होने के कारण हमारे समाज में रूढ़िवादी प्रथाऍ हैं जैसे– पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यादान, पुत्र के लिए यज्ञ एवं मृत्यु के समय पुत्र द्वारा मुखाग्नि, हमारा पुरुष प्रधान समाज महिलाओं के सशक्तिकरण को एक अलग बिन्दु से देखता है। जिसमें वह मानता है कि स्त्री सशक्तिकरण का अर्थ है पुरुष को शक्तिविहीन करना। इसलिए पुरुष अपने स्तर को कम कैसे कर सकता है।

सरकार द्वारा संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में एक–तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। इससे भी महिलाओं को सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इसकी सफलता हेतु महिलाओं में राजनीतिक चेतना जागृत होना आवश्यक है।[12]

तालिका संख्या–1
उत्तरदाताओं की आयु की तालिका

क्रम सं0	आयु सीमा	उत्तरदाताओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	18–22	25
2	22–26	17.5
3	26–30	17.5
4	30–34	10
5	34–38	10
6	38–42	15
7	42–46	2.5
8	46–50	कोई नहीं
9	50–54	कोई नहीं
10	54–58	2.5
	योग	100 प्रतिशत

'अधिकतम आयु सीमा वर्ग अन्तराल में सम्मिलित नहीं है।

महिला सशक्तिकरण के अध्ययन हेतु मेरठ जिले में माछरा विकास खण्ड के पॉच गॉवों से 100 महिलाओं का उत्तरदाताओं के रूप में चयन किया गया। इन उत्तरदाताओं की आयु की तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक महिला उत्तरदाता आयु वर्ग 18 से 22 के बीच में हैं जिनकी संख्या 25 प्रतिशत है। आयु वर्ग 22 से 26 एवं 26 से 30 में सम्मिलित महिलाओं की संख्या 17.5 प्रतिशत है। सबसे कम महिलायें आयु वर्ग 42 से 46 एवं 54 से 58 के बीच में हैं जिनकी संख्या 2.5 प्रतिशत है।

तालिका संख्या– 2
उत्तरदाताओं की मासिक आय

क्रम सं0	उत्तरदाताओं की मासिक आय	उत्तरदाताओं की मासिक प्रतिशत में
1	कुछ नहीं	40
2	5000 तक	35
3	20000 तक	12.5
4	40000 तक	12.5
	योग	100 प्रतिशत

उत्तरदाताओं की मासिक आय का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं 40 प्रतिशत की मासिक आय कुछ नहीं है। अर्थात् इन महिलाओं के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। ये अपने जीवन यापन के लिए अपने पति की आय या परिवार के अन्य सदस्यों की आय पर निर्भर हैं। रु0 5000/– कमाने वाली महिलाओं की संख्या 35 प्रतिशत है जबकि रु0 20000/– एवं रु0 40000/– कमाने वाली महिलाओं की संख्या 12.5 प्रतिशत है।

तालिका संख्या– 3
महिला उत्तरदाताओं की पारिवारिक मासिक आय की तालिका

क्रम सं0	उत्तरदाताओं के परिवार की मासिक आय	उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत में
1	7000 तक	35
2	15000 तक	32.5

3	30000 तक	15
4	80000 तक	12.5
5	150000 तक	5
	योग	100 प्रतिशत

उत्तरदाताओं की पारिवारिक मासिक आय का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं की पारिवारिक मासिक आय रु0 7000/– तक है जो कि बहुत ही कम है व उनके परिवार का जीवन स्तर सामान्य है सिर्फ उनके परिवार को भर पेट भोजन ही मिलता है अन्य सुविधायें कम हैं और 32.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं की पारिवारिक मासिक आय रु0 15000/– तक है जो मध्यम आय वर्ग के हैं। रु0 30000/– मासिक आय वाले परिवार मात्र 15 प्रतिशत हैं। रु0 80000/– मासिक वाले परिवार मात्र 12.5 प्रतिशत हैं। सबसे ज्यादा रु0 150000/– मासिक आय वाले परिवार मात्र 5 प्रतिशत हैं जो कि सम्पन्न परिवार हैं। उनके जीवन में कम संघर्ष है।

अध्ययन पद्धति

अपने अध्ययन के लिए मेरठ जिले में माछरा विकास खण्ड का चयन किया। माछरा विकास खण्ड में पॉच गॉव माछरा, भटीपुरा, हसनपुर, रछौती एवं गोविन्दपुर सकरपुर को चुना गया। इस अध्ययन हेतु हमने कुल 100 उत्तरदाताओं का चयन किया। इन उत्तरदाताओं को हमने 4 वर्गों में विभक्त किया है। इसमें मजदूर महिलायें, स्नातक महिलायें, सरकारी नौकरी पर कार्य करने वाली महिलायें एवं कम पढ़ी लिखी महिलायें (जिनकी शिक्षा 12वीं तक है) का चयन किया गया है। अर्थात् प्रत्येक वर्ग में पॉचों गॉवों में सिर्फ 20–20 महिलाओं का चयन किया गया। इस प्रकार सभी वर्गों को मिलाकर कुल 100 का चयन किया गया।

तथ्यों की गणना

इस प्रकार प्राप्त तथ्यों की प्रतिशत के आधार पर गणना की गई है।

निष्कर्ष

1. मजदूर वर्ग की 60 प्रतिशत महिलायें और अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं हैं।
2. मजदूर वर्ग की 65 प्रतिशत महिलायें अपना मत अपनी मर्जी से देती हैं।
3. मजदूर वर्ग की सभी महिलाओं ने स्वीकार किया है कि वह सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी इच्छा से भाग नहीं ले पाती हैं।
4. मजदूर वर्ग की 80 प्रतिशत महिलाओं ने विवाह के उपरान्त शिक्षा ग्रहण नहीं की है।
5. मजदूर वर्ग की 58 प्रतिशत महिलायें यह स्वीकार करती हैं कि वह अपने निर्णय स्वयं लेती हैं।
6. मजदूर वर्ग की कोई भी महिला किसी भी सरकारी संस्था से जुड़ी नहीं है।
7. स्नातक पढ़ी लिखी महिलाओं में सभी महिलाओं ने स्वीकार किया है कि वे और अधिक पढ़ना चाहती हैं।
8. स्नातक पढ़ी महिलाओं में 70 प्रतिशत महिलायें अपना मत अपनी मर्जी से देती हैं।
9. स्नातक पढ़ी हुई 50 प्रतिशत महिलायें सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी इच्छा से भाग ले पाती हैं। जबकि 50 प्रतिशत महिलायें अपनी इच्छा से भाग नहीं ले पाती हैं।
10. स्नातक पढ़ी हुई 70 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने विवाह के पश्चात् और अधिक शिक्षा ग्रहण की है।
11. स्नातक पढ़ी हुई 75 प्रतिशत महिलायें स्वीकार करती हैं कि वे अपने परिवार के निर्णय स्वयं लेती हैं।
12. स्नातक पढ़ी हुई कोई भी महिला किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई नहीं है।
13. विभिन्न सरकारी सेवाओं में कार्यरत् 80 प्रतिशत महिलायें अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाना चाहती हैं।
14. सरकारी सेवा में कार्यरत् सभी महिलायें अपनी मर्जी से अपना मत देती हैं।

15. सरकारी सेवाओं में कार्यरत् 80 प्रतिशत महिलायें सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी इच्छा से भाग लेती हैं।
16. सरकारी सेवाओं में कार्यरत् 60 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि विवाह के पश्चात् और अधिक शिक्षा ग्रहण की है।
17. सरकारी सेवाओं में कार्यरत् सभी महिलायें अपने परिवार के निर्णय स्वयं लेती हैं।
18. सरकारी सेवाओं में कार्यरत् कोई भी महिला किसी भी सरकारी संस्था से जुड़ी हुई नहीं है।
19. 12वीं तक शिक्षित 60 प्रतिशत महिलायें अपने पढ़ाई को और आगे बढ़ाना चाहती हैं।
20. 12वीं तक शिक्षित 65 प्रतिशत महिलायें अपना मत अपनी मर्जी से देती हैं।
21. 12वीं तक शिक्षित 50 प्रतिशत महिलायें सरकारी कार्यक्रमों में अपनी इच्छा से भाग लेती हैं।
22. 12वीं तक शिक्षित 70 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने विवाह के पश्चात् और अधिक शिक्षा ग्रहण की है। वे अपने परिवार से कम पढ़ी लिखी आई थीं।
23. 12वीं तक शिक्षित 65 प्रतिशत महिलायें अपने परिवार के निर्णय स्वयं लेती हैं।
24. 12वीं तक शिक्षित 20 प्रतिशत महिलायें किसी ना किसी सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई हैं।
25. सर्वाधिक महिला उत्तरदाता 25 प्रतिशत आयु वर्ग 18 से 22 के बीच में हैं।
26. सर्वाधिक महिला उत्तरदाताओं की 40 प्रतिशत की मासिक आय कुछ नहीं है।
27. सर्वाधिक महिला उत्तरदाताओं की 35 प्रतिशत की पारिवारिक मासिक आय रु0 7000/– है।

महिला सशक्तिकरण हेतु प्रमुख सुझाव

1. कम पढ़ी लिखी महिलाओं या मजदूरी करने वाली महिलाओं को और आगे पढ़ाकर उन्हें व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करके रोजगार परक कार्यों में व्यस्त किया जा सकता है।
2. यदि कोई पढ़ी लिखी महिला नौकरी करना चाहती है तो परिवार के सदस्यों को उसे नौकरी करने के लिए सहयोग करना चाहिए।
3. कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अधिक पढ़ाया जाये।
4. विधवा महिलाओं के लिए रोजगार अथवा घर के खर्चे उठाने लायक पेंशन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. महिलाओं के प्रति अत्याचार होने पर इसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए एवं कानून की सहायता लेनी चाहिए।
6. महिला एवं पुरुषों में कोई भेद ना किया जाये। पुरुषों के समान ही उन्हें अधिकार दिये जाये।
7. महिलाओं के घर से बाहर जाने पर असुरक्षा का भय रहता है। उन्हें बाहर जाने पर ऐसी सुरक्षा के इन्तजाम किये जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. *यंग इण्डिया, 15/09/1921 पृष्ठ संख्या 292*
2. *गांधी दृष्टि, नृपेन्द्र प्रसाद मोदी, पृष्ठ संख्या 130*
3. *उर्मिला बत्रा, महिला साक्षरता एवं सामाजिक परिवर्तन, पृष्ठ सं0 1, 2012 मार्क पब्लिसर्स जयपुर*
4. *सुभाष सेतिया, महिला सशक्तिकरण– ग्रामीण सन्दर्भ– महिला जागृति और सांस्कृतिक, पृष्ठ 294, 2005, आविष्कार पब्लिसर्स जयपुर*
5. *डॉ0 मैना निर्वाण, शिक्षा को नए आयाम देती महिला पंचायत प्रतिनिधि, पृष्ठ सं 7, 2011 कुरूक्षेत्र*
6. *डॉ0 हिमांशु शेखर, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, पृष्ठ सं0 17, कुरूक्षेत्र, जनवरी 2014*
7. *मनोज श्रीवास्तव, पंचायती राज के जरिये राजनीतिक रूप से सशक्त हुई महिलायें, कुरूक्षेत्र 2011, पृष्ठ सं0 12 व 14*
8. *डॉ0 आशु रानी, महिला विकास कार्यक्रम, 2008, इना जी पब्लिसर्स जयपुर, पृष्ठ सं0 12, 13*
9. *उर्मिला बत्रा, महिला साक्षरता एवं सामाजिक परिवर्तन, पृष्ठ सं0 4–5, 2012, मार्क पब्लिसर्स जयपुर*

10. *उर्मिला बत्रा, महिला साक्षरता एवं सामाजिक परिवर्तन, पृष्ठ सं0 127, 128*
11. *इन्दु कुमारी सिन्हा महिला सशक्तिकरण : अतीत से आज तक, महिला जागृति एवं सांस्कृतिक, पृष्ठ सं0 281, 290, 291, आविष्कार पब्लिसर्स जयपुर, 2005*
12. *प्रकाश नारायण नाटाणी, कृषक महिलायें और उनका सशक्तिकरण, पृष्ठ सं0 75– 76, 2007, बुक एनक्लेव, जयपुर*
13. *नारी सशक्तिकरण, दैनिक जागरण, मेरठ, 4 जनवरी 2015*